राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 87/2024

प्रदीप चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य शिक्षा, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.01.2024
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2024 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कोटा में पदस्थापित रखे जाने का निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्ष 1990 में हुई और वर्ष 2010 में व्याख्याता के पद पर तथा वर्ष 2016 में प्रधानाचार्य के पद पर एवं जनवरी, 2021 में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, कोटा में कार्यरत है। जन्म दिनांक 15.03.1964 के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त हो रहा है, जिसकी सेवा में मात्र 2 माह 15 दिवस का समय शेष है और आदेश दिनांक 15.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में जयपुर पदस्थापित किया गया और उसी दिन अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी 2 माह पश्चात् सेवानिवृत्त हो रहा है। फिर भी प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम 80 के विपरीत जाकर स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2024 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कोटा में पदस्थापित रखे जाने का निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी राज सेवा का अधिकारी है और जिला शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा का अतिरिक्त प्रभार रहा है और उक्त पदों के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा निष्पक्ष जांच कराये जाने के उद्देश्य से अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। सेवा नियम के नियम 25 के आधार पर चुनौती प्रदान की गई थी। याचीकर्त्ता के विरूद्ध गंभीर प्रकृति की शिकायतें थी, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 25.07.2022 के द्वारा खारिज फरमाई गई, जिसे डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 733/2022 पुष्कर राज माली बनाम राज्य व अन्य को चुनौती दी गई और आदेश दिनांक 24.11.2022 के द्वारा अपील को खारिज फरमाया गया, जो निम्नांकित है :–

> *"Learned counsel for the appellant has also argued that under Rule 25-A of the Rajasthan Service Rules, 1951, the appellant can be kept APO only in certain contingencies and not for the reason that a departmental inquiry has been initiated against him or that he has not been allowed to take charge or on the ground that here is a dispute with regard to his taking over charge at the transferred place. The Government decisions referred in Rule 25-A are not exhaustive rather they are the instances wherein usually a Government servant can be kept under awaiting posting orders.*
>
> *In view of the aforesaid facts and circumstances, we do notfind any illegality in the judgment and order passed by the writ court. The appeal lacks merit and is dismissed."*

और इस प्रकार शिकायतों एवं गंभीर परिस्थिति आधार पर कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है। अपीलार्थी को भी शिकायतों एवं गंभीर परिस्थिति के आधार पर ही आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, कोटा में कार्यरत है। जन्म दिनांक 15.03.1964 के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त हो रहा है, जिसकी सेवा में मात्र 2 माह 15 दिवस का समय शेष है और आदेश दिनांक 15.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में जयपुर पदस्थापित किया गया और अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को 2 माह से कम समय शेष उपरांत भी तथा राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर लगे प्रतिबंध के बावजूद आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आदेश दिनांक 22.12.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही के क्रम में राजस्थान शिक्षक संघ, जिला कोटा द्वारा निदेशक को पत्र लिखा गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायतें की गई हैं और शिकायत एवं गंभीर परिस्थिति के कारण ही प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 733/2022 पुष्कर राज माली बनाम राज्य व अन्य को चुनौती दी गई और आदेश दिनांक 24.11.2022 के द्वारा अपील को खारिज फरमाया गया, जो निम्नांकित है :–

> *"Learned counsel for the appellant has also argued that under Rule 25-A of the Rajasthan Service Rules, 1951, the appellant can be kept APO only in certain contingencies and not for the reason that a departmental inquiry has been initiated against him or that he has not been allowed to take charge or on the ground that here is a dispute with regard to his taking over charge at the transferred place. The Government decisions referred in Rule 25-A are not exhaustive rather they are the instances wherein usually a Government servant can be kept under awaiting posting orders.*
>
> *In view of the aforesaid facts and circumstances, we do notfind any illegality in the judgment and order passed by the writ court. The appeal lacks merit and is dismissed."*

अपीलार्थी राज सेवा का अधिकारी है और स्वयं के पद का दुरूपयोग एवं जांच को प्रभावित करने की आशंका से अपीलार्थी को प्रशासनिक आधार पर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो उचित एवं नियमानुसार प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी के तर्क में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)